पटना में दिनांक—27 दिसम्बर, 2016 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

सामान्य प्रशासन विभाग

1.	बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

2.	युद्ध तथा युद्ध जैसी स्थिति में सीमा पर शहीद होने वाले सीमा सुरक्षा बल के बिहार निवासी कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रू० 5,00,000/—(पाँच लाख रूपये) से बढ़ाकर रू० 11,00,000/—(ग्यारह लाख रूपये) करने की स्वीकृति एवं उनके अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में पहचान किये गये पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं किरासन तेल वितरण सुनिश्चित करने हेतु बिहार राशन कूपन एवं किरासन तेल कूपन योजनान्तर्गत लाभुकों को उपलब्ध कराये गये राशन कूपन एवं किरासन कूपन हेतु 1515 लाख (एक हजार पाँच सौ पन्द्रह लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

4.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक स्नातक में नामांकित उन छात्रों को जिन्हें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सम्परिवर्त्तन के पूर्व राज्य सरकार की योजना के अधीन स्टाइपेन्ड स्वीकृत किया गया था, को शिक्षण सत्र की समाप्ति अर्थात् वर्ष 2020 तक स्टाइपेन्ड देने तथा वर्ष 2016 के बाद नामांकित छात्रों के लिए स्टाइपेन्ड योजना बंद करने की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

5.	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत विभाग को प्राप्त राशि के वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

7.	दिनांक–01.01.2017 से 31.01.2017 तक बिहार स्टेट बाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN) के संचालन से संबंधित अवधि विस्तार के साथ–साथ विस्तारित अवधि में योजनान्तर्गत Operation & Maintenance (O&M) हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 51,73,578.00 (इक्यावन लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ अठहत्तर) मात्र स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

8.	समादेश याचिका सं०–12728/2012 में दिनांक–08.10. 2012 को पारित आदेश के आलोक में विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पद के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व में कार्यरत 24 सहायक प्राध्यापक एवं 58 व्याख्याताओं को नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए, जो पहले हो, तक के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

9.	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

10.	बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में एन०टी०पी०सी० एवं अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सिडी के रूप में 221.33 करोड़ (दो सौ इक्कीस करोड़ तैंतीस लाख) रूपये स्वीकृत करते हुए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

11. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को नये विद्युत संबंध देने हेतु खराब पड़े मीटर को बदलने एवं उदय योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप फीडर मीटरिंग एवं स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए राशि 115.35 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़, पैंतीस लाख) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए राशि 113.00 करोड़ (एक सौ तेरह करोड़) रूपये अर्थात कुल राशि 228.35 (दो सौ अठाईस करोड़ पैंतीस लाख) की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 100.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत 3300 अदद सोलर पम्प योजना एवं राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 1 किलोवाट क्षमता 6000 अदद के ऑफग्रिड रूफटॉप सोलर पावर पलान्ट योजना के कार्यान्वयन हेतु (PMU) परियोजना प्रबंधन इकाई के स्थापना पर पाँच वर्षों (2016–17 से 2020–21 तक) में 26,51,20,229 (छब्बीस करोड़ एकावन लाख बीस हजार दो सौ उन्नतीस) रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

13. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रोहतास जिलान्तर्गत केरपा ग्राम में एक 3x50 MVA क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण एवं HTLS कंडक्टर द्वारा संचरण लाईन के सुदृढ़ीकरण हेतु 82.26 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृति कुल राशि का 20% अर्थात 16. 45 करोड़ रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष का 80% अर्थात् 65.81 करोड़ रू० राज्य सरकार की गारन्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14.	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–4, 2011) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12.2016 के परिशिष्ट–1 के क्रमांक–7 (जनवितरण प्रणाली) को विलोपित करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन कतिपय सेवाओं को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	14.	**स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

15.	योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन गठित बिहार योजना सेवा के संयुक्त निदेशक कोटि के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों को अपर निदेशक (पे बैण्ड–37400–67000 + ग्रेड पे 8900) के पद पर प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	15.	**स्वीकृत।**